निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 553) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016

सं० 2/आरोप–01–01/2014–**18007**–**सा0प्र0**

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2015

श्री देवेन्द्र कुमार सविता (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा, प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, छपरा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, छपरा के पत्रांक–01/मु0 विधि दिनांक 03.03.2011 द्वारा छपरा नगर थाना कांड सं0 261/08 दिनांक 25.11.2008 में अभियोजन स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव के आलोक में विधि विभागीय आदेश ज्ञापांक–13 दिनांक 20.02.2013 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग को सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी के सहयोग से प्रशाखा–02 की संचिका के टिप्पणी पृष्ठों को बदलकर दुराशयपूर्ण भावना से कूट रचित कराने एवं तथ्यों को छुपाकर प्रोन्नति का लाभ लेने संबंधी प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4445 दिनांक 02.04.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए इनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

श्री सविता द्वारा दिनांक 19.09.2014 को हस्ताक्षरित बचाव बयान में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जानकी रमण के मामले में पारित आदेश के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–7457 दिनांक 11.09.2002 द्वारा सरकारी सेवक के प्रोन्नति पर विचार करते समय पड़ने वाले कुप्रभाव का उल्लेख करते हुए कहना है कि उक्त दिशा निर्देश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर भी प्रोन्नति बाधित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा उनके विरूद्ध सरकारी अभिलेख को दूराशयपूर्ण भावना से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाना कतई उचित एवं विधिसम्मत् नहीं है। श्री सविता द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0 322 दिनांक 31.01.2011 की कंडिका 4(2) को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि विभाग द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जो प्रमाणित करे कि उनके द्वारा अभिलेखों के साथ छेड़–छाड़ की गयी है।

मामले की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अभियोजन स्वीकृति से संबंधित संचिका के पृष्ठों में छेड़–छाड़ तथा कूट रचना के कारण स्वीकृत अभियोजन आदेश को पुलिस अधीक्षक, सारण को भेजे जाने में विलम्ब हुआ जिस कारण सक्षम न्यायालय में ससमय आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, जिसका सीधा लाभ श्री सविता को प्रोन्नति के रूप में

मिला। स्पष्टतः इस कृत्य में इनकी संलिप्तता रही है। फलतः श्री सविता के बचाव बयान को स्वीकारयोग्य नहीं मानते हुए विभागीय पत्रांक–1659 दिनांक 30.01.2015 द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत अपर विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक–120 दिनांक 28.05.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि *''आरोपित के विरूद्ध दिए गये आरोप पत्र, साक्ष्य तथा आरोपित द्वारा दिए गए बचाव और उस पर सामान्य प्रशासन विभाग के जवाब तथा दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान दिए गये अभिकथनों से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि यदि किसी मामले में किसी पदाधिकारी/कर्मचारी को लाभ होता है तो उसके* manipulation *एवं छेड़–छाड़ करने में उसकी नीयत निहित होती है, क्योंकि उक्त छेड़–छाड़ करने से श्री सविता ने अदेय उच्चत्तर स्तर की प्रोन्नति प्राप्त कर ली। इससे स्पष्ट है कि किसी न किसी रूप में वे सहायक तथा प्रशाखा पदाधिकारी के सम्पर्क में थे और उन सब की साजिश एवं मिली भगत से ऐसी छेड़–छाड़ एवं कूट रचना की गयी। ऐसी गंभीर अनियमितता एवं साजिशपूर्ण तथा बदनीयती से किए गये कदाचार में श्री सविता पूर्णतः दोषी पाये जाते है।''*

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदित किए गये आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–8655 दिनांक 16.06.2015 द्वारा श्री सविता से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सविता द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 13.07.2015 उपलब्ध कराया गया।

अपने अभ्यावेदन में आरोपों के संदर्भ में श्री सविता का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा–02 की संचिका में विधि विभाग द्वारा उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गयी थी। सचिवालय अनुदेश के प्रावधानों के तहत् सचिवालय की संचिकाओं के कागजात गोपनीय होते है, जिस कारण बाहरी व्यक्तियों का उन तक पहुँचना संभव नहीं है। उनका यह भी कहना है कि आरोप में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कथित कूट रचना सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा की गयी थी। अतः आरोप उन्हीं के विरूद्ध बनता है। उन्होंने कहा है कि उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति होने मात्र से उक्त कूट रचना में उन्हें संलिप्त बताया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। श्री सविता का यह भी कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष विभागीय कार्यवाही के सम्यक्, विधिपूर्ण एवं न्यायोचित संचालन पर आधारित नहीं है, बल्कि एक साक्ष्य विहिन एवं अनुमान पर आधारित मनगढ़ंत आरोपों की सम्यक् जाँच किए बिना तथा साक्षियों की गवाही एवं परीक्षण किए बिना निष्कर्ष निकाला गया है, जो न्यायोचित नहीं है।

आरोपों के संदर्भ में श्री सविता के उपर्युक्त अभिकथन के संबंध में उल्लेखनीय है कि यदि अभियोजन स्वीकृत्यादेश, आरक्षी अधीक्षक, सारण को ससमय प्राप्त हो जाता तथा आरोप पत्र दाखिल हो जाता तो वैसी स्थिति में नियमों के तहत् इन्हें प्रोन्नति देय नहीं होती। संचिका में छेड़–छाड़ करने एवं कूट रचना करने से अभियोजन स्वीकृति आदेश भेजने में विलम्ब के कारण आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, जिस कारण श्री सविता को प्रोन्नति मिली। स्पष्ट है सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी के कृत्य से मात्र श्री सविता को सीधा लाभ मिला एवं अन्य किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिला। इससे स्पष्ट है कि किसी न किसी रूप में श्री सविता, सहायक तथा प्रशाखा पदाधिकारी के सम्पर्क में थे और उन सब की साजिश एवं मिलीभगत से ऐसी छेड़–छाड़ एवं कूट रचना के लिए श्री सविता के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होता है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत् श्री देवेन्द्र कुमार सविता (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11 को बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव कोटि (पे बैंड–3, ग्रेड पे–6600) से बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि (पे बैंड–3, ग्रेड पे–5400) में पदावनत करने का दण्ड दिए जाने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त विनिश्चित दण्ड के संबंध में विभागीय पत्रांक–13543 दिनांक 09.09.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2243 दिनांक 14.12.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री देवेन्द्र कुमार सविता (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा, प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, छपरा सम्प्रति उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत् बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव कोटि (पे बैंड–3, ग्रेड पे–6600) से बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि (पे बैंड–3, ग्रेड पे–5400) में पदावनत का दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 553-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in